पंकज जैन, आई.ए.एस

सचिव

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

247, 'ए' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001

दूरभाष-230607,23061245 फैक्स- 23062715

ईमेल- secydws@nic.in

वैबसाइट- www.ddws.nic.in

अं.शा.सं: 2/2/सचिव (डीडब्ल्यूएस/डीडब्ल्यूएस)/2014,

दिनांक-11 जुलाई, 2014,

प्रिय,

पंचायते विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग एवं अन्य विभिन्न स्रोतों से योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत फंड प्राप्त कर रही हैं और अभी तक रख-रखाव एवं रिपेयर के लिए जल परिसंपत्तियों को लेने की जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं। यह कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें रख-रखाव एवं रिपेयर के उद्देश्यों के लिए जल परिसम्पत्तियों को लम्बी अवधि के लिए संभाले नहीं रख सकती। इसके अतिरिक्त 73वें संवैधानिक संशोधन के अधीन शक्तियों और कार्यों के हस्तांतरण की पूर्ण धारणा है कि पंचायतें इस भूमिका को निभाएँ।

2. मैं आभारी होऊँगा यदि:-

I. पंचायत स्तर पर लेखा संबंधी डबल एन्ट्री प्रणाली शुरू की जाए जैसे शहरी स्थानीय निकायों में प्रारंभ की गई है, लेकिन शर्त यह है कि यह या तो महालेखाकार द्वारा तृतीय पार्टी लेखापरीक्षा द्वारा अथवा महालेखाकार/सीएजी के अनुमोदित लेखापरीक्षकों द्वारा की जाए।

II. पंचायतों को प्रत्येक राशि के लेन-देन की लेखा परीक्षा की कोई एम उपयुक्त प्रणाली प्रारंभ की जाए जिससे कि इस विभागकी परिसंपत्तियों अर्थात् जल आपूर्ति परिसंपत्तियों एवं सामुदायिक स्वच्छता काम्पलैक्सों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि सहित ग्राम परिसम्पत्तियों के सृजन एवं रख-रखाव के लिए विभिन्न स्रोतों से विकास तथा रख-रखाव के लिए पंचायतों के खातों में भेजे गए एक-एक पैसे का ठीक ढंग से उपयोग हो सके तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच डुप्लीकेशन के बिना खाते में चढ़ाया जाए।

3. मैं अलग से इस मंत्रालय के दोनों संयुक्त सचिवों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे अपने मंत्रालय को उस फंड के बारे में सूचित करें जिसे पिछले 3 वर्षों में राज्य सरकारों के माध्यम से पंचायतों को

भेजा गया है। इसकी लेखा परीक्षा कराने की भी आवश्यकता होगी कि क्या राज्यों ने विभिन्न पंचायतों को यह राशि पारित की है और कितनी पारित की है।

सादर,

भवदीय

(पंकज जैन)

सुश्री विजय लक्ष्मीजोशी, आई. ए. एस.
सचिव
पंचायतराज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
एनओओ

प्रतिलिपि:- सं.स.(एस), सं.स.(जल)